

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2040/2024

डॉ. हंसराज पहाडिया

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर राजस्थान।

—प्रत्यर्थागण

आदेश दिनांक :- 26.06.2024

समक्ष :- अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री अशोक बंसल उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी सहायक आचार्य (General Medicine) के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा मेडिकल कॉलेज, अजमेर में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि मेडिकल कॉलेज अजमेर में सहायक आचार्य के 15 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में जयपुर में कार्यरत है। राज्य सरकार की यह नीति रही है कि पति-पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में रहने पर उन्हें यथासंभव एक स्थान पर अथवा पास-पास पदस्थापित रखा जाये, परंतु उक्त आलोच्य आदेश पारित करते समय इस नीति का ध्यान नहीं रखा गया है।

4. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
5. हम पाते हैं कि मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सहायक आचार्य के जो 15 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 06 पद नियमित रूप से एवं 09 पद तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से भरे हुए हैं। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सहायक आचार्य का कोई पद रिक्त नहीं है। जहां तक अपीलार्थी एवं उनकी पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रखे जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। स्थानान्तरण आदेश केवल इस आधार पर गलत होना नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी की पत्नी जयपुर में पदस्थापित है। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह किस कार्मिक की सेवाएँ किस स्थान पर प्राप्त करें। उक्त निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वह निर्णय दुर्भावनापूर्वक एवं विधि विरुद्ध तरीके से पारित किया गया हो।
6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)